संख्या-2/2024/बी-1-333 /दस-2024

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊः दिनाँक 18 मार्च, 2024**

विषयः सिंचाई विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप केवल "वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑनलाइन आहरण एवं वितरण कार्य हेतु" डी.डी.ओ. कोड आवंटन ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-4/2022/बी-1-212/दस-2022 दिनाँक 25 मार्च, 2022 द्वारा सिंचाई विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्क्स" से सम्बन्धित बजट का ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु निम्नवत तालिका में उल्लिखित खण्डों/आहरण एवं वितरण अधिकारी को डी.डी.ओ. कोड आवंटित किये गये हैं :-

क्र 0 सं 0	खण्ड/कार्यालय का नाम	जनपद	आवंटित डी.डी.ओ. कोड
1	सिंचाई निर्माण खण्ड , माताटीला , ललितपुर।	ललितपुर	4813
2	सिंचाई निर्माण खण्ड- 3 ललितपुर।		4812
3	सिंचाई निर्माण खण्ड , मऊरानीपुर झांसी।	झांसी	4812
4	सिंचाई निर्माण खण्ड- 2, झांसी।		4811
5	सिंचाई निर्माण खण्ड- 1, झांसी।		4813
6	बैराज निर्माण खण्ड- 1 कानपुर।	कानपुर	4815

2. उक्त के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 25 मार्च, 2022 द्वारा सिंचाई विभाग में सी.सी.एल. प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप "वर्क्स से सम्बन्धित बजट का ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु उपरोक्त प्रस्तर-1 में अंकित तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित खण्डों को आवंटित डी0डी0ओ0 कोड निरस्त करते हुए, नीचे दी गयी तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपद- झांसी, महोबा तथा बाँदा में केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-1 एवं निर्माण खण्ड-2 के खण्डीय कार्यालयों के लिए ''स्वीकृत केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण कार्य हेतु'' इन खण्डीय कार्यालयों के अधिशासी अभियंता को आहरण एवं वितरण अधिकारी नामित करते हुए उनके सम्मुख कॉलम-4 में अंकित डी.डी.ओ. कोड संख्या आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जनपद	प्रस्तावित डी.डी.ओ. कोड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधिशासी अभियन्ता, केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-1, झाँसी	झाँसी	4819
2.	अधिशासी अभियन्ता, केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-2, झाँसी		4820
3.	अधिशासी अभियन्ता, केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-1, महोबा	महोबा	4811
4.	अधिशासी अभियन्ता, केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-2, महोबा		4812
5.	अधिशासी अभियन्ता, केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-1, बाँदा	बाँदा	4814
6.	अधिशासी अभियन्ता, केन-बेतवा लिंक नहर निर्माण खण्ड-2, बाँदा		4815

3. उक्तानुसार आवंटित डी.डी.ओ.कोड संख्या से "केवल वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आहरण एवं वितरण का कार्य" सम्पन्न किया जाएगा।

भवदीय

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

संख्या-2/2024/बी-1-333(1)-दस-2024, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
8. वित्त नियंत्रक, सिचांई विभाग,उत्तर प्रदेश, सिचांई भवन, लखनऊ।
9. सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।